

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA



दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-11062022-236507
SG-DL-E-11062022-236507

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 329]	दिल्ली, शुक्रवार, जून 10, 2022/ज्येष्ठ 20, 1944	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 134
No. 329]	DELHI, FRIDAY, JUNE 10, 2022/JYAISTHA 20, 1944	[N. C. T. D. No. 134

भाग IV PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

शहरी विकास विभाग, दिल्ली

अधिसूचना

दिल्ली, 10 जून, 2022

फा. सं. 7 (140)/डी.डी.एल.बी-I/ 2021/5579.—निम्नलिखित को सार्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है:—

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जून, 2022

फा. सं. 14011/38/2022-दिल्ली-II.—नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् अधिनियम, 1994 (1957 का 44) की धारा 253 की उप-धारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र

दिल्ली की भू-भागीय सीमाओं के भीतर उक्त अधिनियम की धारा 247 और धारा 254. के अंतर्गत अधिमत अपीलों का निर्णय करने के लिए अपीलीय अधिकरण का गठन करती है तथा दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री पीताम्बर दत्त को इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से उक्त अधिकरण का पीठासीन अधिकारी नियुक्त करती है।

आशुतोष अग्निहोत्री, संयुक्त सचिव

आदेश से

अमिताभ कुंडू, उप निदेशक

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT, DELHI

NOTIFICATION

Delhi, the 10th June, 2022

F. No. 7(140)/DDLB-I/2021/5579.—The following is published for general information:—

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd June, 2022

F. No. 14011/38/2014-Delhi-II.—In exercise of the power conferred by sub-section (1) and (2) of section 253 of the New Delhi Municipal Council Act, 1994 (44 of 1944), the Central Government hereby constitutes the Appellate Tribunal for deciding appeals preferred under section 247 and section 254 of the said Act, within the territorial limits of the National Capital Territory of Delhi, and appoints Shri Pitamber Dutt, an officer of Delhi Higher Judicial Service, as the Presiding Officer of the said Tribunal, with effect from the date of publication of this notification.

ASHUTOSH AGNIHOTRI, Jt. Secy.

By Order,

AMITABH KUNDOO, Dy Director